तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी...
13.12.21	पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत जिन्दास मे पेश हुई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। तहसीलदार माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:13:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या 16/21 प्रा/प्ल

1- मांगू ढोली निवासी- जिन्द्रास तहसील - माण्डल (भी०) प्रार्थी

बनाम

1- गोविन्द s/o देवी ढोली निवासी- जिन्द्रास तहसील - माण्डल (भी०) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 (पृष्ठांकित प्रपत्र संलग्न)

::आदेश:: दिनांक 13.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जिन्द्रास पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं 1815/123 कुल किता 01 रकबा 0.60 हेक्टेयर स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.1.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जिन्द्रास पटवार हल्का जिन्द्रास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं 1815/123 कुल किता 01 रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल [illegible] की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:13:47 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021